न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

मुकदमा नम्बर :– 14/2015 प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट

उनवान

1. पुखराज पुत्र शिवचरण जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. राजेश पुत्र शिवचरण जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी ग्राम पीलवा नदी तहसील मलारना डुँगर जिला सवाई माधोपुर।
2. शिवचरण पुत्र नानगराम जाति मीना निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई चंदरोजा तहत दफा 212

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 एवंम् सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

अभिभाषक :–

1. श्री श्याममोहन शर्मा एडवोकेट वकील प्रार्थीगण
2. श्री पारसमल जैन एडवोकेट वकील अप्रार्थी सं.1
3. श्री विष्णु सोमानी एडवोकेट वकील अप्रार्थी सं.2
4. पेरोकार सरकार अप्रार्थी सं.3

निर्णय

दिनांकः–03.03.2020

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.2 के पुत्रान है तथा वे अपनी पैतृक जायदाद पर बहैसियत मालिक काबिज है । आराजी खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सूरवाल जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3151 रकबा 0.92 है0 है। यह भूमि प्रार्थीगण के बाबा नानगा तथा नानगा से पूर्व गिर्राज की खातेदारी की आराजीयात थी अर्थात खसरा नंबर 3151 रकबा 0.92 है. प्रार्थीगण की पैतृक आराजीयात है। पैत्रक आराजी होने के कारण पैत्रक आराजी में प्रार्थीगण का अपने जन्म लेने के समय ही मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गया अर्थात प्रार्थीगण का वर्ष 1989 में 2/3 हिस्सा पैतृक आराजी होने के कारण था तथा 1/3 हिस्सा शिवचरण का था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 के मध्य आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी ख0नं0 3151 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.2 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त आराजी को बिना प्रार्थीगण की सहमति के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को स्वयं की बतलाकर बिना किसी अधिकार के बिना प्रतिफल लिये बिना कब्जे का अंतरण किये अप्रार्थी सं.1 का नाम दिनांक 18.7.89 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर करवा दिया वह विक्रय पत्र प्रार्थीगण के अधिकारों की हद तक अवैध है। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करावे कि वे खसरा नंबर 910 वर्तमान खसरा नंबर 3151 को प्रार्थीगण को काश्त करने में किसी प्रकार की मजामहत व मदाखलत न तो स्वयं करे नही किसी से करावे तथा ताफैसला दावा किसी प्रकार का अंतरण नहीं करें। दिनांक 25.8.15 को अप्रार्थी सं.1 आराजी खसरा नंबर 3151 पर आया और इसे अपनी खातेदारी में होने के कारण कब्जा हटाने व बिक्री करने की धमकी

Varsha

दी। प्रार्थीगण द्वारा समझाने पर अप्रार्थी सं.1 नहीं माना इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि दौराने दावा यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे दायरी दावे की स्थिति को तब्दील कर देगें, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण का माननीय न्यायालय में वाद दायर करना विफल हो जावेगा व पक्षकारान प्रकरण हाजा में तनाव बढ कर प्रार्थीगण की बरवादी की सूरत पैदा हो जावेगी। वादपत्र के निर्णित होने में समय लग सकता है लिहाजा दौराने दावा अप्रार्थीगण को जरिये टी0आई0 पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। कि वे खसरा नंबर 3151 ग्राम सूरवाल के उपयोग उपभोग में काश्त करने में किसी प्रकार की मजामहत न तो स्वयं करे न किसी से करावे तथा दोनो पक्ष मोके व रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का उत्तर अप्रार्थी सं. 1 की और से प्रार्थीगण द्वारा कहे गये तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है बल्कि वादग्रस्त आराजी पर खरीद किये जाने के पश्चात से ही अप्रार्थी सं.1 का ही कब्जा चला आ रहा है कि जिसे अप्रार्थी सं.1 द्वारा साझे बाटे पर काश्त कराया जा रहा है। आराजी खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सूरवाल जिसके वर्तमान खसरा नंबर 3151 रकबा 0.92 है0 रहे है जिस 0.92 है. में से 0.26 है. भूमि अवाप्त कर ली गई तथा उसके पश्चात इस खसरा नंबर का रकबा 0.66 है. रहा है जो 0.26 है. भूमि अवाप्त की गई थी उसका मुआवजा भी अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुआ है। इस तरह वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा वाद सं. 1448/73 शिवचरण बनाम नानगराम में दिनांक 11.9.74 को शिवचरण का वाद डिक्री किया गया था जिस के तहत डिक्री में वर्णित आराजीयात को शिवचरण के नाम होने के बारे में डिक्री पारित की थी कि जिसमें खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भी शामिल था जिसके अनुसार ही शिवचरण ने उक्त खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सूरवाल को अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.7.89 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी में जन्म लेते ही कोई अधिकार प्राप्त नही होता है तथा पिता के होते हुए पुत्रों को किसी भी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिये प्रार्थीगण का उक्त आराजी में किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात कभी भी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं रही बल्कि विपक्षी संख्या 2 शिवचरण के नाम थी जिसे शिवचरण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 18.7.89 को विक्रय कर विपक्षी संख्या 1 को उक्त आराजी कब्जा सुपुर्द कर दिया था जिससे आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल कर खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है जिन समस्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को भी है। प्रार्थीगण का अथवा अप्रार्थी सं. 2 का कोई कब्जा नहीं है बल्कि अप्रार्थी सं. 1 का है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में कोई हित एवं हिस्सा नहीं है और न ही कोई अधिकार है और न ही विक्रय किये जाने से पहले उनकी कोई सहमति लिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में किया गया विक्रय वैध है वादगस्त आराजी विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी जिसमें पिता के जीवित रहते प्रार्थीगण का कोई हित हिस्सा एवं अधिकार नहीं था इस कारण विक्रय पत्र जो विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया था वह पूर्णतया वैध है तथा प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वे अप्रार्थी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। दिनांक 25.8.15 को कोई घटना नहीं हुई है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का खरीद के समय से ही चल रहा था तथा प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं था तो ऐसी कोई बात होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता और न हुई है। अप्रार्थी सं. 2 ने कतई गलत ढंग से प्रार्थना पत्र अपने पुत्रों अर्थात प्रार्थीगण से प्रस्तुत कराया है कि जो चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण का कोई केस नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब में अंकित किया कि खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सूरवाल शिवचरण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी रही है तथा शिवचरण एव जगदीश के मध्य मौखिक इकरार द्वारा यह बात तय हुई थी कि रजिस्ट्री के वक्त आपको विक्रय राशि अदा कर दुँगा लेकिन रजिस्ट्री कराते समय राशी अदा नहीं की अप्रार्थी सं0 1 ने नशे में होने का फायदा उठा कर अप्रार्थी सं0 2 से बिना राशी अदा किए हस्ताक्षर करवा लिए जगदीश द्वारा रूपये अदा नहीं करने के कारण अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थी सं0 1 को कब्जा

नहीं दिया एवं उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी सं0 2 का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पैतृक जमीन है। तथा निवेदन किया कि उक्त आराजी खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3151 वाके ग्राम सूरवाल पर अप्रार्थी सं0 2 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत प्रार्थीगण व अप्र.र्थी संख्या 1 न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थीगण की और से निर्णय व डिकी दिनांक 11.9.74, फर्द मिलान तथा जमाबंदी संवत 2070–73 की छायाप्रति तथा खेवट खतोनी की छाया प्रति एवं राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 2.11.15 की नकल प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी सं. 1 की और से राजस्व मण्डल के आदेश 14.01.16 की छाया प्रति,मुख्तारनामा आम 12.1.17 2 किता रसीद खसरा नंबर 3151 की जगदीश द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने बाबत, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जगदीश को मिलने वाली राशि का निर्धारण, अति. जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 25.1.18, संभागीय आयुक्त भरतपुर का निर्णय दिनांक 31.10.18, शिवचरण बनाम नानगराम का दावा, विभाजन पत्र, गवाहान के बयान, उप जिलाधीश सवाई माधोपुर का निर्णय व डिकी दिनांक 11.9.74, की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थीगण की और से 2015 (1) आर.एल.डब्लू. पेज 450 (राज.) प्रस्तुत की गई। एवं अप्रार्थी सं. 1 की और से 2018 आर.आर.डी. पेज 694, 2017 आर.ऑर.डी. पेज 286, 2015 आर.आर.डी. पेज 208, 2015 आर.आर.डी. पेज 606, 2015 डी.एन.जे.(4)राज. पेज 1855 प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी होने के कारण उसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हिस्सा है और इस कारण उक्त आराजी को अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से तक को विकय करने का कोई अधिकार था और न ही वह कर सकता था वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरित करना चाहता है। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं. 1 की और से अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 2 को अप्रार्थी सं. 2 द्वारा न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर में प्रस्तुत वाद शिवचरण बनाम नानगराम में पारित निर्णय दिनांक 11.9.74 के अनुसार डिकी पालना में प्राप्त हुई है जिसके पश्चात ही खसरा नंबर 910 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सूरवाल जो कि उस निर्णय एवं डिकी में शिवचरण को दी गई थी अप्रार्थी सं. 2 शिवचरण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 18.7.89 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय कर अप्रार्थी सं. 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया था एवं उस विकय पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण भी तस्दीक किया जाकर उसका अमल राजस्व रिकोर्ड में किया जा चुका था। उक्त आराजी जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3151 है में से 0.26 है. भूमि अवाप्त कर ली गई जिसका मुआवजा भी अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुआ एवं उक्त खसरा नंबर 3151 का रकबा 0.66 है. रह गया। जिसका अप्रार्थी सं. 1 रिकोर्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण को उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपने पिता के जीवनकाल में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और न ही उक्त आराजी पैतृक भूमि की श्रेणी मे आती है क्योंकि उक्त आराजी न्यायालय के निर्णय के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 को प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में जो नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में उक्त विकय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया था के विरूद्ध अपील भी न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में प्रस्तुत की थी कि जो अपील दिनांक 25.1.18 को न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी थी तथा उसके विरूद्ध भी प्रार्थीगण ने न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की थी कि जो अपील भी दिनांक 31.10.18 को निरस्त की जा चुकी है। इस तरह प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 की और से भी जवाब में अंकित किये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी का कोई भी प्रतिफल अप्रार्थी सं. 2 को अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण प्रार्थीगण को व अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द करने के लिये निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.9.74 न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधोपुर शिवचरण बनाम नानगराम से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. 2 शिवचरण को उक्त निर्णय एवं डिकी के आधार पर प्राप्त हुई है। अतः उक्त भूमि को पैतृक नहीं

Varsha

कहा जा सकता है। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं0 2 जीवित है। प्रार्थीगण अपने पिता कि भूमि में से विरासतन हिस्सा अनुसार भूमि उनकी मृत्यु उपरान्त प्राप्त करेंगे। उक्त विविादित आराजियात को अप्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 18.07.89 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में जो नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया था के विरूद्ध भी प्रार्थीगण द्वारा अपील अति. जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो भी दिनांक 25.1.18 को निरस्त की जा चुकी है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध भी प्रार्थीगण द्वारा अपील संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई थी जो भी दिनांक 31.10.18 को निरस्त की जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जो जवाबदेही एवं बहस इस आशय की गई कि उसके द्वारा बिना प्रतिफल प्राप्त किये तथा प्रतिफल बाद में अदा किये जाने के आश्वासन पर विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड करा दिया था यह बात अप्रार्थी सं. 2 की मानने योग्य नहीं है क्योंकि इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कोई भी कार्यवाही विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराने के कई वर्षो बाद भी नहीं की गई है। इस तरह प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है तथा विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की एवं आधिपत्य की है तथा खातेदारी मे दर्ज है इस कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में नहीं है तथा रिकार्डेड खातेदारी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थी सं. 2 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर किये गये पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे की पत्रावली के साथ संलग्न हो।

Varsha

(वर्षा मीना)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2020.03.03 16:42:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: